

फा.सं. ए-42018/06/2015-स्थापना  
भारत सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय  
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

कमरा सं. 510, 5वां तल,  
पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,  
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली,  
दिनांक 20 मार्च, 2018

रिक्ति परिपत्र

विषय : दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में प्रतिनियुक्ति आधार पर (अल्पावधि अनुबंध सहित) पे-मैट्रिक्स (रू. 67700 - रू. 208700) लेवल 11 में उप निदेशक (मीडिया) के एक (1) पद को भरने के संबंध में।

विभाग में निम्नलिखित पद (सामान्य केन्द्रीय सेवाएं; ग्रुप - ए; राजपत्रित; अलिपिकवर्गीय) पर भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित हैं:-

क्र. सं.	पद का नाम और संख्या	वेतनमान	जिन ग्रेडों से प्रतिनियुक्ति की जानी है
1	पद का नाम : उप निदेशक (मीडिया) पदों की संख्या : एक (1)	पे - मैट्रिक्स (रू. 67700 - रू.208700) में लेवल 11	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि अनुबंध सहित):- केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध सरकारी अथवा स्वायत्त निकाय अथवा सांविधिक संगठन के अधिकारी :  (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समान पद, संभालने वाले अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे-मैट्रिक्स (रू. 56100-रू.177500) लेवल 10 में 5 वर्ष की नियमित सेवा; तथा स्नातकोत्तर अथवा प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में संपादन या पत्रकारिता के तीन वर्ष के अनुभव सहित जन संचार या पत्रकारिता में डिप्लोमा; अथवा (iii) भारतीय सूचना सेवा (समूह 'ए') मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे-मैट्रिक्स (रू.56100-रू.177500) में लेवल 10 में पांच वर्ष की नियमित सेवा।


**नोट** - केन्द्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में अथवा इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व किसी संवर्ग बाहिय पद में प्रतिनियुक्ति अवधि सहित (अल्पावधि संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति अवधि (अल्पावधि संविदा सहित) चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा इन आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।



2. कृपया उन पात्र एवं इच्छुक अधिकारियों का जीवनवृत्त, जिन्हे तत्काल कार्य मुक्त किया जा सकता है, अधोहस्ताक्षरी को इस परिपत्र के साथ संलग्न अनुबंध-I के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में जीवनवृत्त की तीन प्रतियों के साथ-साथ पिछले पांच वर्षों की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की अद्यतन छायाप्रतियों (अवर सचिव के पद से ऊपर के अधिकारी द्वारा पूर्णतः सत्यापित) के साथ अग्रेषित किया जाए।

3. आवेदन रोजगार समाचार में इस विज्ञापन की तिथि से 60 दिनों के भीतर इस कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त अथवा अग्रेषित आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन अग्रेषित करते समय संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गयी जानकारी सही है और उस अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता मामला लंबित अथवा विचारधीन नहीं है। उक्त दस्तावेजों के साथ-साथ सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र तथा पिछले 10 वर्षों के दौरान उस पर लगाई गई बड़ी-छोटी शास्ती का विवरण भी इसके साथ भेजे जाएं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार



(सौरांशु सिंहा)

अवर सचिव (प्रशासन),

दूरभाष : 011-24369029

ई-मेल : sauranshu.sinha@nic.in

प्रतिलिप :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों के सचिव
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री (एसजेएंडई)/राज्य मंत्री (वीएस)/राज्य मंत्री (केजी)/राज्य मंत्री (आरए) शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. सचिव (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) के प्रधान निजी सचिव।
5. संयुक्त सचिव (डीसी) के पीपीएस/संयुक्त सचिव (पीएस) के निजी सचिव/ संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के पीएस।
6. सभी निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
7. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (ध्यानाकर्षण : श्री चंद्रशेखर, अवर सचिव (सीएस.1), लोक नायक भवन, नई दिल्ली 110003 को - रिक्ति परिपत्र के व्यापक प्रचार के लिए इसे डीओपीटी के वैबसाइट पर अपलोड करने के निवेदन के साथ।
8. एनआईसी सेल - इसे विभाग की वैबसाइट (disabilityaffairs.gov.in/) तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की वैबसाइट (socialjustice.nic.in) पर अपलोड करने के लिए।
9. मीडिया यूनिट - इसे रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित के लिए।
10. एनआई डिविजन - इस रिक्ति परिपत्र को विभाग के अधीन सभी राष्ट्रीय संस्थानों/संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों में परिपत्रित करने के निवेदन के साथ।
11. राष्ट्रीय न्यास, सीसीपीडी, भारतीय पुनर्वास परिषद, एनएचएफडीसी सहित विभाग के अधीन सभी संबद्ध कार्यालय।
12. ई-ऑफिस, नोटिस बोर्ड/गार्ड फाइल।

जीवनवृत्त प्रपत्र

1. नाम एवं पता (बड़े अक्षरों में)	
2 जन्म तिथि (ईस्वी सन में)	
3.i) सेवा में प्रवेश की तारीख	
ii) केन्द्रीय/राज्य सरकार नियमावली के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख	
4. शैक्षणिक अर्हताएँ :	
5.क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं पूरी की गई हैं। (यदि किसी अर्हता को नियमावली में निर्धारित किसी योग्यता के समकक्ष माना गया है तो इसके बारे में प्राधिकारी को विवरण बताएं)	
विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित अनिवार्य अर्हताएं/अनुभव	अधिकारी द्वारा धारित अर्हताएं/अनुभव
अनिवार्य	अनिवार्य
क) योग्यता	क) योग्यता
ख) अनुभव	ख) अनुभव
वांछनीय	वांछनीय
क) योग्यता	क) योग्यता
ख) अनुभव	ख) अनुभव
5.1 नोट: रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन और परिपत्र जारी करने के समय पर प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा भर्ती नियमावली में उल्लिखित किए अनुसार अनिवार्य एवं वांछनीय अर्हताएं दर्शाने के लिए इस कॉलम को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।	
5.2 उम्मीदवार द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर अर्हताओं के मामले में ऐच्छिक/मुख्य एवं सहायक विषयों का उल्लेख किया जाए।	
6.आपके द्वारा की गई उपर्युक्त प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि क्या आप पद की अपेक्षित अर्हताओं और कार्य अनुभव को पूरा करते हैं।	
6.1 नोट: आदाता विभागों द्वारा आवेदित पद के संदर्भ में उम्मीदवार द्वारा धारण की गई संबद्ध अनिवार्य अर्हता/कार्य अनुभव (जीवन वृत्त में उल्लेख किए अनुसार) प्रतिपुष्टि करते हुए अपनी विशिष्ट टिप्पणियां/विचार उपलब्ध कराएं।	

7. कालक्रमानुसार रोजगार के ब्यौरे। यदि नीचे स्थान अपर्याप्त है तो अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत प्रमाणित एक अलग पत्रक संलग्न करें।

कार्यालय/संस्थान	नियमित आधार पर धारित पद	से	तक	*नियमित आधार पर धारित पद का पे-बैंड और ग्रेड-पे/वेतनमान	आवेदित पद के लिए अपेक्षित अनुभव को दर्शाते हुए इयूटियों की प्रकृति (विस्तार से)

\*महत्वपूर्ण अधिकारी को एसीपी/एमएसीपी के अंतर्गत दिए गए पे-बैंड और ग्रेड-पे व्यक्तिगत हैं। अतः उल्लेखनीय नहीं हैं। केवल नियमित आधार पर धारित पद का पे-बैंड और ग्रेड-पे/ वेतनमान का उल्लेख किया जाना है। उम्मीदवार द्वारा जहां ऐसे लाभांश प्राप्त किए जा रहे हैं वहां वर्तमान पे-बैंड और ग्रेड-पे के साथ एसीपी/एमएसीपी के ब्यौरे नीचे दिए गए अनुसार दर्शाए जाएं:

कार्यालय/संस्थान	एसीपी/एमएसीपी योजना के अंतर्गत प्राप्त किए गए वेतन, पे-बैंड और ग्रेड-पे	से	तक

8. वर्तमान रोजगार की प्रकृति अर्थात् तदर्थ या अस्थायी या अर्धस्थायी या स्थायी			
9. यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति/संविदा पर आधारित है तो कृपया उल्लेख करें:			
क) आरंभिक नियुक्ति की तिथि	ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि	ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे आप संबंधित है	घ) वर्तमान संगठन में नियमित आधार पर धारित पद का पदनाम और वेतन
9.1 नोट: यदि अधिकारी पहले से प्रतिनियुक्ति पर हैं तो ऐसे अधिकारियों के आवेदन पत्र मूल संवर्ग/ विभाग द्वारा संवर्ग सहमति, सतर्कता निकासी			

<p>और सत्य निष्ठा प्रमाणपत्र सहित अद्येष्ठित किए जाने चाहिए।</p>		
<p><b>9.2 नोट:</b> जहां कोई कार्मिक संवर्ग/संगठन से बाहर प्रतिनियुक्त पद पर कार्यरत है परन्तु उनका अपने मूल संवर्ग/संगठन में लियन कायम है, ऐसे सभी मामलों में ऊपर के कॉलम 9 (ग) और (घ) के अंतर्गत जानकारी अनिवार्य रूप से दी जाए।</p>		
<p>10. यदि पूर्व में आपकी किसी पद पर प्रतिनियुक्ति हुई है, अन्तिम प्रतिनियुक्ति से वापसी की तारीख और अन्य विवरण।</p>		
<p><b>11.वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण:</b></p> <p>कृपया उल्लेख करें कि क्या आप निम्नलिखित नियोक्ता के तहत (प्रासंगिक कॉलम के सम्मुख अपने नियोक्ता का नाम अंकित करें) कार्य कर रहे हैं:</p> <p>(क) केन्द्र सरकार  (ख) राज्य सरकार  (ग) स्वायत्तशासी संगठन  (घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम  (ड.) विश्वविद्यालय  (च) अन्य</p>		
<p>12. कृपया यह बताएं कि आप उसी विभाग में कार्यरत हैं और फिडर ग्रेड में अथवा फिडर से फिडर ग्रेड में हैं।</p>		
<p>13. क्या आप संशोधित वेतनमान में है? यदि हां तो उस तारीख का उल्लेख करें जब संशोधन हुआ और पूर्व संशोधित वेतनमान को भी दर्शाएं।</p>		
<p>14. इस समय आहरित प्रति मास कुल परिलब्धियां</p>		
पे-बैंड में मूल वेतन	ग्रेड-पे	कुल परिलब्धियां
<p>15. यदि आप ऐसे संगठन से संबंधित है जो केन्द्र सरकार के वेतन-मान का भुगतान नहीं कर रहा है तो निम्नलिखित ब्यौरों को दर्शाते हुए संगठन द्वारा जारी नवीनतम वेतन-पर्ची संलग्न की जाए:-</p>		

वेतन-मान के साथ-साथ मूलवेतन और वेतनवृद्धि की दर	महंगाई भत्ता / अन्तरिम सहायता/ अन्य भत्ते आदि (विवरण ब्यौरे सहित)	कुल परिलब्धियां
<p><b>16.क अतिरिक्त सूचना</b>, आपके द्वारा आवेदित पद आपकी उपयुक्तता के समर्थन में कोई प्रासंगिक जानकारी, यदि कोई है।</p> <p>(इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित संबंध में सूचान उपलब्ध कराएं (I) अतिरिक्त शैक्षणिक अर्हताएं (II) व्यवसायिक प्रशिक्षण (III) रिक्ति परिपत्र विज्ञापन में निर्धारित किए अनुसार कार्य अनुभव)</p> <p>(नोट: एक अलग पत्रक संलग्न करें, यदि स्थान अपर्याप्त है)</p>		
<p><b>16.ख उपलब्धियां</b></p> <p>अभ्यर्थियों से निवेदन किया जाता है कि निम्न के संबंध में सूचना अंकित करें:</p> <p>(I) अनुसंधान प्रकाशनों, रिपोर्टों व विशेष परियोजनाओं</p> <p>(II) पुरस्कारों/छात्रवृत्तियों/ सरकारी प्रोत्साहनों</p> <p>(III) व्यवसायिक निकायों/संस्थानों/सोसाइटी से संबद्धता</p> <p>(IV) अपने नाम से पंजीकृत पेटेंट या संगठन के लिए प्राप्त किया गया</p> <p>(V) आधिकारिक मान्यता से संबद्ध कोई शोध/नवाचारी उपाय</p> <p>(VI) अन्य कोई सूचना ।</p> <p>(नोट: यदि स्थान पर्याप्त नहीं हैं तो अलग से पत्रक संलग्न करें)</p>		
<p>17. कृपया उल्लेख करें कि क्या आप प्रतिनियुक्ति /आमेदन/(आईएसटीसी)पुनर्नियोजन आधार के लिए आवेदन कर रहे हैं? # (केवल केन्द्रा/ज्य सरकारों के अंतर्गत अधिकारी ही 'आमेदन' के लिए पात्र हैं। गैर सरकारी संगठनों</p>		

के उम्मीदवार अल्पावधि संविदा के लिए पात्र हैं	
#(यदि रिक्त परिपत्र में विशेष रूप से 'एसटीसी/ 'आमेलन' / पुनर्नियोजन पर की जाने वाली भर्ती का उल्लेख किया गया है तो 'एसटीसी/ 'आमेलन' / पुनर्नियोजन का विकल्प उपलब्ध है।	
18.क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं?	

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं इस बात से भली भांति अवगत हूँ कि इस पद पर चयन के समय पर मेरे द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से समर्थित जीवनवृत्त दस्तावेजों का मूल्यांकन चयन समिति द्वारा किया जाएगा। विवेकानुसार मेरे द्वारा दी गई जानकारी/ब्यौरे सही और सत्य है और मेरे चयन से संबंधित कोई दस्तावेज गुप्त नहीं रखा गया है।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पता.....  
.....  
.....

दिनांक:

नियोजक/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन

उपर्युक्त आवेदन में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी/विवरण रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सत्य और सही हैं। उसके पास रिक्त परिपत्रों में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हैं। चयन होने की स्थिति में उन्हें तुरंत कार्य मुक्त किया जा सकेगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:

(i) श्री/श्रीमती ..... के विरुद्ध कोई सतर्कता या अनुशासनिक मामला लंबित नहीं है/ चलाए जाने का विचार नहीं है।

(ii) उनका/उनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है।

(iii) उनका/उनकी मूल रूप में सी आर डोजियर संलग्न है / पिछले 5 वर्षों के एसीआर की फोटो प्रतियां, जो अवर सचिव, भारत सरकार या उनसे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित हैं, संलग्न हैं।

(iv) पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर कोई छोटी-बड़ी शास्ति नहीं लगाई गई है या पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर लगाई गई छोटी-बड़ी शास्तियों की एक सूची (जैसा भी मामला हो), संलग्न है।

प्रतिहस्ताक्षरित

.....  
(नियोजक/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी की मुहर)